न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/59 **दायरा दिनांक : 23.05.2022**

उनवान

पृथ्वीराज उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री रामकरण, जाति गुंसाई, निवासी ग्राम बडा, तहसील व जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय, बारां ... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री बाबू लाल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री ललित नागर पैरोकार सरकार अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 13.12.2024**

ये अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 173/2014 निर्णय दिनांक 31.03.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बडां, तहसील बारां में हाल खसरा नं. 556 रकबा 0.16 हेक्टर भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय दिनांक 31.03.2022 से वादी अपीलांट का वाद सारहीन एवं तथ्यहीन होने के कारण खारिज किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नहीं करने में भारी भूल की है। ग्राम बडां, तहसील बारां में हाल खसरा नं0 556 रकबा 0.16 हेक्टर भूमि स्थित है, जो राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में किस्म बरानी द्वितीय के रूप में दर्ज है। वादग्रस्त इस भूमि में शुरू से ही राजस्व रिकॉर्ड में बंजड़ के रूप में दर्ज थी तथा सन् 1998 से अपीलान्ट इस भूमि पर निरन्तर काबिज चला आ रहा है। अपीलान्ट एक भूमिहीन काश्तकार है, राजस्व कर्मचारियों की गफलत एवं लापरवाही से इस भूमि की किस्म बरानी दर्ज कर दी, जिसका उनको कोई अधिकार हासिल नहीं था। इससे अपीलान्ट के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, आज भी अपीलान्ट इस भूमि का जुर्माना लगातार अदा करता चला आ रहा है। अपीलान्ट ने अपनी साक्ष्य में खसरा गिरदावरी परिवर्तनशील सन् 1998–1999, 1999–2000 एवं 2065 के दस्तावेज पेश किये, राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि यह भूमि पूर्व में

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बंजड़ थी तथा वर्तमान में बिना किसी आदेश के इस भूमि की किस्म परिवर्तन कर दी, जिसका अधिकार राजस्व कर्मचारियों को नहीं था। अपीलान्ट ने अपने वादपत्र में प्रार्थना की (क) मद में यह सहायता चाही थी कि ग्राम बड़ा, तहसील बारां की खसरा नं0 556 रकबा 0.16 हेक्टर भूमि की किस्म बरानी द्वितीय के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में बंजड़ दर्ज करायी जावे, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रश्न का कोई निर्णय नहीं दिया, जबकि यह अधिकार उपजिला कलक्टर को था कि वह भूमि की किस्म वापस बंजड़ करने की डिक्री पारित करते। वादपत्र की प्रार्थना की मद नं० (ख) में जो प्रार्थना चाही है वह भूमि बंजड़ दर्ज हो जाने के बाद की है, इसको वास्तव में नियमन कमेटी ही कर सकती है, किन्तु नियमन कमेटी भी जब ही करेगी, जब भूमि की किस्म बंजड़ दर्ज हो जावे, किन्तु जब पहले प्रश्न का उत्तर ही अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं दिया तो दूसरे का निर्णय देना सर्वथा गलत है।

तनकी नं0 01 में विवादित भूमि पर मकान व पेड़ लगा होना राजस्व रिकॉर्ड से स्पष्ट है, क्योंकि खसरा परिवर्तनशील की जो नकल वर्ष 2011 की पत्रावली पर पेश हुई है, उसमें खसरा नं. 556 रकबा 0.16 हेक्टर भूमि ही मद नं0 03 में अपीलान्ट का नाम दर्ज है, मद नं0 04 में मकान व पेड़ होना भी दर्ज है तथा मद नं0 10 में बंजड़ दर्ज है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर नहीं किया, इसी प्रकार सम्वत् 2067 की खसरा परिवर्तनशील पेश हुई है, उसमें भी मद नं0 04 में मकान व वृक्ष दर्ज है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, इसी प्रकार सम्वत् 2064 व 2063 की खसरा परिवर्तनशील में खसरा नं0 556 पर अपीलान्ट का नाम दर्ज है व मकान, वृक्ष, जामुन, नींबू, आम 0.16 हेक्टर पर दर्ज होना लिखा हुआ है। इतना साक्ष्य होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का वाद खारिज करके भारी भूल की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने जो तनकीयात कायम की है, उनका विस्तृत विवेचन न करके भारी भूल की है तथा पत्रावली में ऑर्डर 20 नियम 5 सी.पी.सी. का उल्लंघन किया है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां प्रकरण संख्या 174/2014 बउनवान पृथ्वीराज बनाम राजस्थान सरकार दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 आर.टी.एक्ट निरस्त फरमाया जावें तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः आदेश 20 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत निर्णय के लिये लौटाया जावें।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अभिभाषकगण की उभयपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराया और लिखित बहस पेश कर कथन किया कि ग्राम बडां, तहसील बारां हाल खसरा नं. 556 रकबा 0.16 हेक्टर भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में किस्म बरानी द्वितीय के रूप में दर्ज है, के बाबत यह मुकदमा है। प्रारम्भ में इस भूमि की किस्म

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बंजड थी तथा सन् 1998 से अपीलान्ट इस भूमि पर निरन्तर काबिज चला आ रहा है। पूर्व में जब इस भूमि की किस्म बंजड थी तभी से अपीलान्ट इसका जुर्माना देता चला आ रहा है। राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी आदेश के बंजड़ से इस भूमि की किस्म बरानी द्वितीय दर्ज कर दी। यह अधिकार राजस्व कर्मचारियों को नहीं था। अपीलान्ट ने इसी बात की डिक्री जारी करने की प्रार्थना की थी कि इस भूमि की किस्म बंजड़ दर्ज करवायी जावे और जब भूमि बंजड़ दर्ज हो जाये तो वह भूमि अपीलान्ट के नाम नियमन हो सकती है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकरण मे तीन तनकीयां कायम की है, परन्तु तीनों तनकीयों का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 20 नियम 5 दी.प्र.सं. के तहत नहीं करके अपीलान्ट के साथ भारी अन्याय किया है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्येक तनकी का निर्णय आदेश 20 नियम 5 दी.प्र.सं. के तहत करके प्रत्येक तनकी का साक्ष्य के अनुसार निर्णय करना चाहिये था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र यह लिखकर कि इस तनकी का अधिकार न्यायालय को नहीं है अपना पल्ला झाड लिया, जो सर्वथा गलत है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया जावे कि प्रत्येक तनकी का निर्णय आदेश 20 नियम 5 दी.प्र.सं. के तहत करें तथा पूर्व में भूमि की जो किस्म बंजड थी उसके अनुसार इस भूमि की किस्म बंजड दर्ज करने की डिक्री पारित करें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की और कथन किया कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 आर.टी. एक्ट विरुद्ध प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल ग्राम बडां, तहसील बारां में हाल ख० न० 556 रकबा 0.16 हेक्टर भूमि स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड मे बंजड़ के रूप में दर्ज थी तथा इस भूमि पर प्रार्थी ने मकान बना रखा है एवं पेड़ लगा रखे हैं तथा इस भूमि पर प्रार्थी का 1988 से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

प्रार्थी एक भूमिहीन काश्तकार है इस बंजड़ भूमि पर प्रार्थी निरन्तर काबिज चला आ रहा है तथा जुर्माना अदा करता आ रहा है। राजस्व कर्मचारियों ने गफलत व लापरवाही से इस भूमि कि किस्म बारानी दर्ज कर दी जिसका उनको कोई अधिकार हासिल नहीं था। जिससे प्रार्थी के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है जबकि आज भी वादी इस भूमि का जुर्माना लगातार अदा करता आ रहा है। प्रतिवादी मनमाना तरीका अपनाकर वादी को विवादित भूमि से बेदखल करना चाहते है जिसका उनको कोई अधिकार हासिल नहीं है। दिनांक 20.08.2014 को प्रतिवादी ने वादी को विवादित भूमि से बेदखल करने की धमकी दी। फिर भी वादी निरन्तर इस भूमि पर काबिज चला आ रहा। अतः वादी खिलाफ प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधीनस्थ अधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तनकीवार सुनवाई कर दिनांक 31.03.2022 को यह निर्णय पारित किया कि सिवायचक जमीन को आवंटन करने का अधिकार आवंटन सलाहकार कमेटी को है अधीनस्थ न्यायालय का अतिक्रमण को नियमन करने का अधिकार नहीं है। अतः वादी का वाद सारहीन एवं तथ्यहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

वादग्रस्त भूमि ख० न० 556 रकबा 0.16 हेक्टर ग्राम बडां, तहसील बांरा सिवायचक दर्ज रेकार्ड है। अपीलार्थी उक्त भूमि पर अतिक्रमी के तौर पर काबिज है। अपीलार्थी ने अतिक्रमित भूमि पर कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय है कि सिवायचक भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया जाता है। अतिक्रमण को नियमन करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार नहीं है, विधिसम्मत है। मेरी राय में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखना उचित होगा अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन एवं मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अंतर्गत धारा–88, 89, 90, 91, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत कर ग्राम बडां, तहसील बारां के हाल खसरा नं. 556 रकबा 0.16 हेक्टर भूमि जो राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में किस्म बारानी द्वितीय के रूप सिवाय चक दर्ज है, जो पूर्व में बंजड़ दर्ज थी। इस भूमि पर प्रार्थी ने मकान बना रखा है एवं पेड़ लगा रखे हैं। इस भूमि पर प्रार्थी का 1998 से निंरतर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा जुर्माना अदा करता आ रहा है। राजस्व कर्मचारियों ने लापरवाही से इस भूमि कि किस्म बारानी दर्ज कर दी। जिससे प्रार्थी के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। प्रतिवादी मनमाना तरीका अपनाकर वादी को विवादित आराजी से बेदखल करना चाहते हैं। अतः वादग्रस्त आराजी की किस्म बारानी द्वितीय के बजाय बंजड़ दर्ज कर प्रार्थी/वादी के नाम नियमन कर खातेदारी में अंकित की जाए तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाए कि वह विवादित आराजी खसरा नं. 556 रकबा 0.16 हेक्टर पर वादी को शांतिपूर्वक काबिज काश्त बना रहने देवे, उसके कब्जे काश्त में किसी प्रकार मदाखलत न तो स्वयं करें न ही अपने प्रतिनिधि से करावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर उभयपक्ष की सुनावाई करने के पश्चात तनकीवार विश्लेषण करते हुए अपने निर्णय दिनांक 31/03/2022 से वादी का वाद खारिज करते हुए यह निर्णय पारित किया कि विवादित आराजी पर वादी अतिक्रमी है जिस पर वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहता है। वादी ने विवादित आराजी का नियमन करवाने हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया है। आवंटन नियमन कमेटी की सलाह से किया जाता है। नियमन करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। वादी का वाद सारहीन एवं तथ्यहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 556 रकबा 0.16 हेक्टर राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है। अपीलांट उक्त भूमि पर अतिक्रमी के रूप में काबिज है। अपीलांट वादी ने अतिक्रमित सिवायचक भूमि पर कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय का यह निर्णय कि सिवायचक भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया जाता है। अतिक्रमण को नियमन करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है, विधि सम्मत है। अतः अपील के इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31/03/2022 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन एवं विधि विरुद्ध होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31/03/2022 विधि सम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/12/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

पृथ्वीराज उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री रामकरण, जाति गुंसाई, निवासी ग्राम बडा, तहसील व जिला बारां (राज0)

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय, बारां

.... **रेस्पोडेंट**

....

अपीलांट

अपील नं **2022 / 59**
मु.द.नं0 **173 / 2014**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, बारां**
निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक – **31.03.2022**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **20 माह 11** सन् **2024**

श्री **बाबू लाल जैन** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **ललित नागर** पैरोकार सरकार अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट सारहीन एवं विधि विरुद्ध होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31 / 03 / 2022 विधि सम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **13 माह 12 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)